

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-6) विभाग

क्रमांक प.3 (17)राज.6/2021 / 76

जयपुर, दिनांक-10-9-2021


अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम, संख्या 15) की धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.3 (17)राज.6/2021/62 दिनांक 18.8.2021, अधिसूचना क्रमांक प.3 (17)राज.6/2021/64 दिनांक 18.8.2021, अधिसूचना क्रमांक प.3 (17)राज.6/2021/65 दिनांक 18.8.2021, तथा अधिसूचना क्रमांक प.3 (17)राज.6/2021/69 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं में विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी जिन्हे 'प्रशासन गांव के संग अभियान-2021' के लिये नियुक्त किया गया है" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिन्हे 'प्रशासन गांव के संग अभियान-2021' के लिये नियुक्त किया गया है" से प्रतिस्थापित की जायेगी।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(रामचरण शर्मा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक
10-9-2021 प्रकाशन हेतु।
11. राविरा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव 10/09/2021